





चिमनाराम जी मंगलानी नई बनाम कनीन प्रो अठारन एच
 किस्म मुकदमा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 काश्तकारी अधिनियम 1955 नं.....सन् 2017

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिसिल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुकम का तामिल में जारी हुए
<p>21/4</p> <p>7/11/17</p> <p>7-11-17</p>	<p>वकील वादी उपस्थित । वकील वादी द्वारा एक राजस्व वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण के अन्तर्गत 183, 188.....राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कि गई जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 7/11/17 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन </p> <p style="text-align: center;">  10/11/17 </p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मारवाड़ जंक्शन </p> <p style="text-align: center;"> पत्रावली पेश हुई आज पीठासीन अधिकारी महोदय, अन्य कार्य से व्यस्त है/भ्रमण पर है/ बैठक में पधारे हुए है/अवकाश पर है अतः पत्रावली आसन्दा दिनांक 7/11/17 को पेश हो। </p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मारवाड़ जंक्शन </p> <p> पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी द्वारा प्रतिवादीगण के नोटिस तामिल करने का रिक्ता प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए उक्त अधिका रिक्त 20/11/17 से पत्रावली शेख </p>	

21/6/19

पत्र
पता: पत्र
दिनांक: 12/8/19
पेश हो।

उप
मजिस्ट्रेट
शाम
मजिस्ट्रेट

13/8/19

वाद फुल कोर्ट के
अधीन कोर्ट के
रखना इस
Not press
2/52

दिनांक 12/8/19 को राजकीय अखबार होने के
पतावली आज पेश हुई वकील वादी उप।
वकील वादी उक्त वाद को आज नहीं चलाना
चाहते हैं तथा वाद को पुनः नवंबर लाने
के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए Not
Press करने हेतु विहित निवेदन किया
वकील वादी के निवेदन पर मत किया गया
चूंकि वकील वादी हलगत उमरा/वाद
को स्वयं Not - Press नज़ा चाहते हैं
अतः उनका निवेदन स्वीकार किया जा
जाकर हलगत वाद को वकील वादी को
नवंबर के आचार पर वाद को पुनः
लाने के अधिकार को सुरक्षित रखते
हुए Not - Press न जारी किया जा
एा निवेदन फौजदारी नम्बर होकर नम्बर से
काम हो।
निर्णय कर इजाजत आज दिनांक 13/8/19
को हुआ गया।

महामुख
770 90

